"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8772/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-1 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005,) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है,) की अनुसूची-1 के सरल क्रमांक 25 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(एक) मेडिसिनल एंड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों, तथा

(दो) एफ. एल.-10 अनुज्ञप्तिधारी वितरक द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा" से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है."

अनुसूची-2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 में सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"7	एफ. एल. - 10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा.	—	7"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजस्व का पुनरीक्षित लक्ष्य रु. 8263.77 करोड़ निर्धारित किया गया था. वर्ष 2013-14 के लिए राजस्व का लक्ष्य रु. 9671.96 करोड़ निर्धारित किया गया है. निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अतिरिक्त राजस्व के संसाधन जुटाया जाना आवश्यक है.

अतएव, विदेशी मदिरा एवं भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का विक्रय एफ.एल.-10 अनुज्ञप्तिधारी वितरक द्वारा किये जाने पर 7 प्रतिशत की दर से वेट अधिरोपित किये जाने हेतु, मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि 25 एवं अनुसूची-दो के भाग-3 में यह संशोधन प्रस्तावित है.

राज्य विधानमंडल, भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची-दो के मद 54 सहपठित अनुच्छेद 304 (क) के अंतर्गत कर अधिरोपित करने हेतु सक्षम है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 12 जुलाई, 2013

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-1 की प्रविष्टि क्रमांक 25 तथा अनुसूची-2 के भाग-3 का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

क्र.	अनुसूची	वर्तमान प्रविष्टि
1	अनुसूची-1 का संशोधन	**प्रविष्टि क्रमांक-25** मेडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है.
2	अनुसूची-2 का संशोधन	भाग-3

अनुक्रमांक (1)	विवरण (2)	धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत) (3)
1	डीजल	25
2	पेट्रोल	25
3	एबीएशन टरबाईन फ्यूल जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो-घ) में विनिर्दिष्ट किए गए से भिन्न है	25
4	प्राकृतिक गैस	25
5	तेंदूपत्ता	25
6	मिट्टी तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विक्रय होने पर.	4

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.